(289)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक     ।२०१३ निगरानी — R. 2830 - III/13

१- महमूद अली अन्सारी, । पुत्रगण मोहम्मद
२- मसऊद अली अन्सारी । अली अंसारी ।

दोनों निवासीगण, मेन रोड, बुढार, तहसील-सोहागपुर, जिला शहडोल-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

श्री एस० के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज 22-7-13 को प्रस्तुत
22-7-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

१- हृदय नारायण मृत वारिसान -
श्रीमती भागीरथी सिंह पत्नी हृदयनारायण,

२- अमन बहादुर सिंह । पुत्रगण हृदयनारायण
३- समर बहादुर सिंह । सिंह
४- शमशेर सिंह ।
५- समीर सिंह ।

६- श्रीमती शिखा सिंह पुत्री हृदय नारायण सिंह,
समस्त निवासीगण वार्ड नम्बर २१, बुढार रोड, शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल-म०प्र० ।

७- सूर्यवंश मिश्रा पुत्र रामसुन्दर मिश्रा, निवासी वार्ड नम्बर-२ सोहागपुर, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश ।

८- श्रीमती सुशीलादेवी पाण्डेय पत्नी श्री शंकरप्रसाद पाण्डेय, पुत्री स्व० तुलसी महाराज, निवासिन ग्राम जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल ।

९- राजेश चेलानी, । पुत्रगण रामचन्द्र चेलानी
१०- अनिल चेलानी ।

निवासीगण शहडोल, वार्ड नम्बर १६, तहसील-सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश ।

22/7/13

११- श्रीमती गुलावरानी पत्नी स्व० श्री बाबूलाल जैन, [illegible] निवासिन- जैल बिल्डिंग के सामने, शहडोल, मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय सोहागपुर, जिला शहडोल, दिनांक १३-५-२०१३, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ निल । अ-७४।१२-१३। प्रारम्भिक न्यायालय तहसीलदार महोदय, सोहागपुर, प्र०क्र० १७१-अ।७४।१२-१३, ११६-अ।७।११-१२, २२६-अ-६।११-१२ ।

---

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने विवादित आज्ञा पारित करने के पूर्व प्रार्थीगण एवं संबंधित हित रखने वालों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में विवादित आज्ञा न केवल कानून के प्रावधानों अपितु प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, पुनराविलोकन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश व्दारा प्रतिपादित न्यायिक [illegible] उदहरणों [illegible] पर भी कोई विचार नहीं किया गया ।

५- यह कि, विवादित आज्ञा माननीय उच्च न्यायालय एवं इस माननीय न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

यह कि, प्रकरण में पुनराविलोकन का कोई आधार भी उपलब्ध नहीं है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2830—तीन/2013 जिला—शहडोल

महमूद अली अन्सारी व अन्य विरूद्ध हृदय नारायण आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25—02—2019 | आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, जिला—शहडोल के प्र. क्र. निल /अ—74/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 13—05—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 12—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>25/2/2019<br>(आर.के. जैन)<br>सदस्य | |